न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–147/2026

CNR No.UPRP01000562026

(पंजीयन सं० 259/2026)

अमर सिंह पुत्र होरी लाल, निवासी ग्राम करनपुर, थाना अजीमनगर, जिला रामपुर, उ०प्र०।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

धारा–115(2), 85, 80(2)
BNS व धारा 3/4 द०प्र०अ०
थाना–अजीमनगर, रामपुर।
अ०सं० 272/2025

आदेश

अभियुक्त/प्रार्थी अमर सिंह की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता राजकुमार ने इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो योजित किया है और न ही लम्बित है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी दिनांक 27–12–2025 से जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है।अभियुक्त/प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है।अभियुक्त/प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है।अभियुक्त/प्रार्थी मृतका का देवर है।अभियुक्त/प्रार्थी एवं उसके परिवार वालों द्वारा किसी प्रकार से दहेज की कोई मांग नहीं की गई है और न ही मृतका को किसी प्रकार से प्रताड़ित किया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी एवं उसके परिवार वाले ने दहेज की खातिर मृतका को मारपीट कर घर से नहीं निकाला है।मृतका की शादी उसके परिवार वालों की मर्जी से हुई थी, जबकि वह अपनी पसन्द के किसी शहरी नौकरपेशा व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी उसकी इच्छा पूर्ण न होने के कारण वह निराश व उदास रहती थी।अभियुक्त/प्रार्थी का भाई वीरेन्द्रपाल व परिजन मृतका रूबी को अपनी क्षमता के अनुसार सुख व आराम दिया व सम्मान दिया है और अभियुक्त/प्रार्थी भी मृतका का काफी सम्मान करता था। अभियुक्त/प्रार्थी एक शिक्षित बी०एड, टेट पास युवक है और निम्न परिवार होने के उपरान्त भी अपनी मेहनत व लगन से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है।अभियुक्त/प्रार्थी घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था, बल्कि सूचना मिलने पर नोएडा से घर आया था, जिसको पुलिस ने मुकदमा उपरोक्त में गिरफ्तार कर लिया है।

Digitally signed by BHANU DEO SHARMA
Date: 2026.03.06 15:07:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मृतका की शव–विच्छेदन आख्या से स्पष्ट है कि उसने स्वंय फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है, जिससे परिलक्षित होता है कि मृतका के साथ मृत्यु पूर्व किसी प्रकार की दहेज की मांग को लेकर कोई प्रताड़ना नहीं की गई और इस प्रकार दहेज हेतु मृत्यु की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना से आठ दिन पूर्व मृतका रूबी को ससुराल से मारपीट कर निकाल दिये जाने का कथन निराधार व काल्पनिक एवं मिथ्या है, क्योंकि इस घटना की पूर्व में कोई रिपोर्ट या पुलिस के किसी अधिकारी को सम्बोधित कर कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है और न ही कथित मारपीट से आई चोटों का कोई मेडिकल है और न ही समझाने–बुझाने का कोई सन्दर्भ है। उक्त धाराओं के अन्तर्गत वर्णित कोई अभियोग अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्व नहीं बनता है। अभियुक्त/प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है।उसे झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी मृतका का देवर है। अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा मृतका को अतिरिक्त दहेज मांग के लिए कभी प्रताड़ित नहीं किया गया और न ही उक्त दहेज के रूप में कोई मांग की गई थी। अभियुक्त प्रार्थी व उसका परिवार निम्न वर्ग में आता है। इस कारण न तो विवाह से पूर्व दहेज की कोई मांग हुई और न ही विवाह के उपरान्त दहेज में चार पहिया गाड़ी की मांग की गई थी। अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा मृतका को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर कभी घर से नहीं निकाला गया है। उनका तर्क है कि मृतका का विवाह उसके परिजनो ने अपनी इच्छा से किया था, जबकि मृतका अपना विवाह नौकरीपेशा व्यक्ति से करना चाहती थी और इसी इच्छा व उत्कंठा पूर्ण न होने के कारण वह निराशन रहने लगी थी, जिसके परिणामस्वरूप मृतका ने स्वंय आत्महत्या की है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी का भाई वीरेन्द्रपाल एक वर्ष से जिला कचहरी में जूनियरशिप में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा है। अभियुक्त/प्रार्थी व उसके परिवारवालों ने मृतका को अपनी क्षमा के अनुसार सुख व सम्मान प्रदान किया था। मृतका द्वारा आत्महत्या करने के उपरान्त उसे दरवाजा तोड़कर निकाला गया है।रिश्तेदारों के सलाह–मशवरा व गाँव की पार्टीबन्दी के कारण वादी मुकदमा द्वारा झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी उच्च शिक्षित व्यक्ति है।उसकी माता गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसका उपचार बीकानेर(राजस्थान) से चल रहा है। अभियुक्त/प्रार्थी Bed तक शिक्षित है और Tet पास है। अभियुक्त/प्रार्थी सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है और घटना के समय घर पर उपस्थित नहीं था। उनका तर्क है कि मृतका के गर्दन पर कोई चोट नहीं है, केवल लिगेचर मार्क है, इसलिए मृतका की दहेज मृत्यु की उपधारणा नहीं की जा सकती है। उनका तर्क

है कि घटना से 8 दिन पूर्व मृतका को अभियुक्त/प्रार्थी व उसके परिवार द्वारा मारपीट कर घर से निकाल देने का कथन निराधार एवं मिथ्या है। अभियुक्त/प्रार्थीह की घटना में संलिप्तता का प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त/प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त/प्रार्थी 26 वर्षीय नवयुवक है। उसे सामाजिक रूप से बदनाम करने के लिए झूठा अभियोजित किया है।

अतः अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) एवं वादी मुकदमा के अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से उपरोक्त तर्को का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि मृतका की मृत्यु विवाह के लगभग दो माह के अन्दर हुई है। मृतका की मृत्यु से पूर्व मृतका को अभियुक्त/प्रार्थी सहित अन्य अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में चार पहिया की मांग करने और मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करने का साक्ष्य विवेचना में संकलित हुआ है। उनका तर्क है कि अभियुक्त / प्रार्थी की घटना में संलिप्तता का साक्ष्य विवेचना में संकलित हुआ है। मृतका की मृत्यु अभियुक्त/प्रार्थी के घर के अन्दर होने का साक्ष्य विवेचना में संकलित है। उनका तर्क है कि अभियुक्त /प्रार्थी का घटना के दिन,समय व स्थान पर घटनास्थल से पृथक स्थान पर उपस्थित होने का कोई साक्ष्य नहीं है। उनका तर्क है कि नोएडा में अभियुक्त/प्रार्थी के घटना के समय उपस्थित होने का भी कोई साक्ष्य नहीं है। केवल यह कथन कि अभियुक्त /प्रार्थी नोएडा में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयार करता है,के आधार पर अभियुक्त/प्रार्थी की अन्यत्र उपस्थिति साबित नही होती है। उनका तर्क है कि मृतका को अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए घटना से ठीक पूर्व प्रताड़ित किये जाने का साक्ष्य विवेचना में संकलित हुआ है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

उभयपक्षों के तर्को को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक वादी मुकदमा प्रेम सिंह की ओर से दिनांक 26–12–2025 को इस आशय से पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट से प्रारम्भ हुआ कि वादी मुकदमा ने अपनी पुत्री रूवी की शादी 2 माह पहले दिनांक 01–11–2025 को विरेन्द्रपाल पुत्र होरी लाल के साथ की थी। शादी के बाद से ही वादी मुकदमा की पुत्री का पति विरेन्द्रपाल,सास,ननद मीना, उसका पति,लक्ष्मी व उसका पति एवं देवर अमर सिंह आऐ दिन दहेज मांग करते थे तथा चार पहिया गाड़ी की मांग करते थे। जबकि वादी मुकदमा ने अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी बेटी की शादी में दान दहेज दिया था। करीब 8 दिन पहले वादी मुकदमा की बेटी के साथ मारपीट करके घर से निकाल दिया था। दिनांक 25–12–2025 को वादी मुकदमा की बेटी को उसका पति विरेन्द्र पाल वादी मुकदमा के घर से लेकर गया था और दोहपर में विरेन्द्रपाल ने सूचना दी कि घर आ जाये,जिस पर वादी मुकदमा अपनी पत्नी के साथ विरेन्द्रपाल के

घर करनपुर आये,तो उसकी बेटी घर पर मृत अवस्था में पड़ी थी। दहेज की खातिर उपरोक्त लोगों ने वादी मुकदमा की पुत्री की हत्या कर दी है।वादी की पुत्री का शव विरेन्द्रपाल के घर पड़ा है।

मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होने का साक्ष्य विवेचना में संकलित हुआ है। मृतका की मृत्यु से पूर्व उसे अतिरिक्त दहेज की मांग की पूर्ति के लिए प्रताड़ित किए जाने का भी साक्ष्य विवेचना में संकलित है। अभियुक्त/प्रार्थी की घटना में संलिप्तता का साक्ष्य विवेचना में प्रकट हुआ है। मामले में मृतका की मृत्यु अभियुक्त/प्रार्थी के घर के अन्दर होना अभियोजन प्रपत्रों में दर्शित है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों ,सुरक्षित अन्वेषण,जाँच एवं विचारण को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत प्रदत्त किए जाने का कोई पर्याप्त व न्यायोचित आधार प्रकट नहीं होता है।

तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

अभियुक्त/प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 06–03–2026

(भानु देव शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O.Code–UP 6545